

URGENT

By Hand



Patna Municipal Corporation



2019104474



http://pmc.bihar.gov.in

Date: 16-03-2019



2019-2020

कार्यालय, विभागीय सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं
आवास विभाग सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के
तहत प्राप्त प्रथम अपील के संबंध में

नोटिस

जापांक- 24111-06770 दिनांक 05/03/2019
परिवाद की अगल तिथि संख्या 428110114051801826/2A

सेवा मे/प्रेषित,

नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सत्यजीत कुमार द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल-
सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील दायर किया गया है। उनका कहना है कि
पटना नगर निगम, पटना के वार्ड नं०-29 के अन्तर्गत करबिगहिया मुख्य पथ से महादेव साव के घर तक
मुख्यमंत्री शहरी नाली गली योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क तथा नाली की निर्माण की योजना का शीघ्र
कार्यान्वयन किया जाय। अपीलार्थी द्वारा यह भी बताया गया कि पथ के दोनों तरफ के कतिपय लोगों
द्वारा सड़क निर्माण हेतु अपना निजी जमीन छोड़ा गया है, जिस पर अपीलवाद में अंकित सड़क एवं नाली
का निर्माण होना है। पत्रांक-1089/दिनांक-12.12.2018 से प्रेषित प्रतिवेदन में कार्यपालक अभियंता,
कंकड़बाग प्रमण्डल-एफ, पटना नगर निगम द्वारा बताया गया है कि अमीन के प्रतिवेदन के अनुसार सड़क
की लम्बाई 283फीट है। जमीन मालिक (विक्रेता) द्वारा 15फीट चौड़ा तथा विभिन्न क्रेताओं द्वारा
2.5फीट पूरब तथा 2.5फीट पश्चिम तरफ रास्ता छोड़ा गया है। इस प्रकार सड़क के लिए 20फीट जमीन
छोड़ी गई है। सभी क्रेताओं के Deed में भी उल्लेखित है। अंचल अधिकारी, पटना सदर अंचल द्वारा भी एक
प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उसमें भी उक्त, तथ्य उल्लेखित है। दिनांक-26.02.2019 के सुनवाई के
समय कार्यपालक अभियंता, कंकड़बाग प्रमण्डल एफ, पटना नगर निगम, पटना द्वारा बताया गया कि
अपीलवाद में अंकित स्थल पर पी0सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण में कुछ लोगों द्वारा अवरोध उत्पन्न
किया जा रहा है। उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता है।
अतः इस विषय को स्वयं देखते हुए आप इसका कार्यान्वयन करायेंगे। यदि योजना के कार्यान्वयन में
पुलिस बल की आवश्यकता प्रतीत हो रही हो तो पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करायेंगे। अभिलेख सुनवाई
की अगली तिथि दिनांक-15.03.2019 के अपराहन 02.00 बजे तक उपलब्ध करावें।

15.3.2019
URGENT
EE (LBD)

अनुपम कुमार सुमन

नगर आयुक्त का स्थान
पटना नगर निगम

कार्यालय, विभागीय सचिव/प्रधान सचिव, नगर
विकास एवं आवास विभाग सह द्वितीय अपीलीय
प्राधिकार

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार
विभागीय सचिव/प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार